संख्या-67/2019/1924/22-2-2019-17(327)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 06 जून, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री रमसी, निवासी जनपद-महोबा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15066/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक दिनांक 20.05.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कल्लू पुत्र श्री रमसी, जो मकरबई, थाना-कबरई, जनपद-महोबा का रहने वाला है, बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 18.05.1980 को 03 अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फरसा, बल्लम व कुल्हाड़ी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-91/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 06.03.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.02.2006 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24.09.2007 द्वारा यथावत रखा गया। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि बंदी के अपराध से व्यक्ति विशेष पर ही नहीं अपितु अन्य लोगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, बंदी द्वारा भविष्य में भी किन्हीं अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेकरअपराध कारित किये जा सकने, जेल से बाहर आकर पीड़ित पक्ष तथा अन्य गवाहों आदि को पुन: प्रताड़ित करने एवं बंदी के द्वारा कोई भी अप्रिय घटना कारित किये जाने की संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रकरण में क्रिमि0 रिट पिटीशन सं0-37071/2018 भगवती देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 तथा अवमाननावाद (सिविल) संख्या-2409/2019 श्रीमती भगवती देवी बनाम अरविन्द कुमार प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र0 शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2019 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कल्लू (बन्दी संख्या-1513/2008) पुत्र श्री रमसी, निवासी जनपद-महोबा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-67/2019/1924(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in